

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding provision of houses to differently-abled persons under Pradhan Mantri Awas Yojana.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): पहले ऐसा तय किया गया था कि 80% अविवाहित विकलांगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलना था। लेकिन उसके बाद नियम बदला गया और फैसला लिया गया कि 80% विकलांगों को योजना के अंतर्गत आवास दिया जाएगा, परन्तु अब तक पोर्टल पर यह नियम अपडेट नहीं हुआ है जिसकी वजह से मेरे संसदीय क्षेत्र में विकलांग लोगों को परेशानी हो रही है।